न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा
मु.नं. 129/2024

शंकर पुत्र प्रभू जाति चौबदार बलाई निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा ।

– अप्रार्थी

दावा बावत् घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरुस्ती दरुस्ती(धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय दिनांकः 23.08.2024

वादी के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रामगढ तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.20. हैक्टर व खसरा नम्बर 467 रकबा 0.76 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर वादी की पैत्रक आराजी है जो उसको उसके पिता मृतक प्रभू से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आराजी पूर्व में वादी के पिता प्रभू जाति चौबदार बलाई दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा वादी की सही जाति चौबदार बलाई है। किन्तु भू प्रबंध के दौरान या राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी में वादी व वादी के पिता मृतक प्रभू की जाति बलाई दर्ज कर दी जबकि वादी की जाति चौबदार बलाई है। वादी के आधार कार्ड,राशनकार्ड आदि सभी दस्तावेजों में वादी की जाति चौबदार बलाई है। राजस्व कर्मचारियों को इस प्रकार की दर्ज्दीली करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादी को गलत इन्द्राज से अपने हक

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

व अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। उक्त अशुद्वि को दुरुस्त करवाने हेतु तहसीलदार महवा से निवेदन किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। यदि वादी की जाति दुरुस्त नहीं की गई तो वादी को क्षति पूर्ति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अतः वादपत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय का है। अतः वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में बलाई के स्थान पर चौबदार बलाई करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार महवा द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम रामगढ की आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 467 रकबा 0.76 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर में खातेदार वादी का नाम शंकर पुत्र प्रभू जाति बलाई निवासी रामगढ के नाम दर्ज है जबकि शंकर के जन आधार कार्ड,मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा शंकर के पुत्रों के शिक्षण प्रमाण पत्रों में भी जाति चौबदार है। जॉच करने पर पाया कि शंकर पुत्र प्रभू की जाति बलाई न होकर चौबदार है जिसे उक्त खातेदारी आराजी के खातेदार शंकर पुत्र प्रभू की जाति बलाई के स्थान पर चौबदार किया जाना उचित है।

वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सं. 2071–74, शपथ पत्र वादी, सुरेश पुत्र कन्हैयालाल सैनी व अमरसिंह पुत्र जैहरीसिंह राजपूत निवासी रामगढ मय आधार कार्ड, वादी शंकर का स्वयं का आधार कार्ड व तहसीलदार महवा द्वारा जारी पिछडी जाति प्रमाण पत्र कमॉकः 1049 दिनांक 05.02.2013 की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजात में वादी की जाति चौबदार दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा/जिला दौसा

CamScanner

हमने वकील वादी की एकपक्षीय वहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। उक्त समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम शंकर पुत्र प्रभू जाति चौबदार अंकित है एवं गवाहों द्वारा भी वादी की जांति चौबदार बताई है एवं तहसीलदार महवा की रिपोर्ट कमॉकः 1993 दिनांक 22.08.2024 से भी जाति शुद्व किये जाने की सिफारिश की हैं। इससे सिद्व होता है कि प्रार्थी का सही नाम शंकर पुत्र प्रभू जाति चौबदार ही है। राजस्व रिकार्ड में हुई त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के तहत शुद्व किया जा सकता है। इस प्रकार वादी अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहे है एवं वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 एल. आर. एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 0.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 467 रकबा 0.76 कुल क़िता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर स्थित ग्राम रामगढ तहसील महवा जिला दौसा में दर्ज वादी शंकर पुत्र प्रभू जाति बलाई के बजाय शंकर पुत्र प्रभू जाति चौबदार शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। वादी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियॉ करवाने का अधिकारी होगा। तहसीलदार महवा को उक्त आशय की तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा